Manvendra Singh
Civil Judge (Jr. Division), Narkatiaganj
T.S. No. 18/2017
CIS No. 663/2018
Sona Devi Vs. Banarasi Mahto & Ors.
Date of Order : 08.07.2026

न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, सिविल जज (जूनियर डिविजन), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–18/2017

CIS NO.- TS 663/2018

सोना देवी.....वादी

बनाम

बनारसी महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
08.07.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.10.2025 पर सुना। वादी की ओर से दाखिल आवेदन में निवेदन किया गया है कि वादी वादग्रस्त भूमि रामेशवर प्रसाद स बजरिये निबंधित बैयनामा दस्तोवज खरीद की है। अन्य भूमियों के साथ वादग्रस्त भूमि वादी के विक्रेता रामेश्वर प्रसाद के हिस्से में आपसी खानगी जुबानी बंटवारे में आवंटित हुआ था जिसपसर रामेश्वर प्रसाद का दखल कब्जा था, जिसका दाखिल खारिज रामेश्वर प्रसाद के नाम किये तथा जमाबंदी सं0–659 कायम किए। क्रय करने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि का दाखिल खारिज वादी सोना देवी के नाम हुआ जिसका जमाबंदी सं0–627/659 है जो जमाबंदी नं0–659 से घटकर कायम हुआ है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जमाबंदी सं0–659 ग्राम धनकुटवा अंचल सिकटा जो रामेश्वर प्रसाद के नाम से है का जमाबंदी पंजी अंचल सिकटा से मांगने की कृपा करें ताकि स्पष्ट हो जाए कि वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी वादी के विक्रेता रामेश्वर प्रसाद के नाम से था या नहीं। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 20.02.2026 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादी का आवेदन गलत अवधारणा पर आधारित है एवं पोषणीय नहीं है। विधि का सुस्थापित नियम है कि दाखिल खारिज या लगान का भुगतान स्वामित्व या कब्जा का दस्तावेज नहीं होता है। विवादित भूमि का दाखिल खारिज बनारसी महतो के नाम पर जमाबंदी सं0–2128 के तहत हुआ है तथा वे	

Manvendra Singh
Civil Judge (Jr. Division), Narkatiaganj
T.S. No. 18/2017
CIS No. 663/2018
Sona Devi Vs. Banarasi Mahto & Ors.
Date of Order : 08.07.2026

न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, सिविल जज (जूनियर डिविजन), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–18/2017

CIS NO.- TS 663/2018

सोना देवी.....वादी

बनाम

बनारसी महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 08.07.2026	लगातार लगान रसीद का भुगतान कर रहे है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख अग्रीम कार्यवाही हेतु नियत है। वादी अपने आवेदन के माध्यम से निवेदन करते है कि जमाबंदी सं0–659 ग्राम धनकुट्वा अंचल सिकटा की जमाबंदी पंजी अंचल सिकटा से मांगवाया जाए ताकि स्पष्ट हो सकें कि वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी वादी के विक्रेता रामेश्वर प्रसाद के नाम से था या नहीं। वादी का आवेदन सामान्य प्रकृति का है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 13.10.2025 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 07.08.2026 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	